

(☎ 022-22862703) ई-मेल/e-mail-<u>irw@dae.gov.in</u> फैक्स/Fax No. - 2204 8476 & 2282 4354



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY औ. सं. एवं क. अनुभाग IR&W SECTION अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan, छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg, मुंबई/Mumbai - 400001

सं.No.7/15/2012/आईआरएंडडब्ल्यूIR&W/ 5843

अप्रैल April 28, 2017

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीएचएसएस के अंतर्गत प्रसव के समय होने वाले खर्च का भुगतान करने हेतु मातृत्व

प्रसृति के प्रभारों में संशोधन।

Subject: Revision of maternity charges for meeting confinement expenses

under CHSS.

वर्तमान में, प्रसूति से संबंधित व्यय के लिए मातृत्व प्रसूति के प्रभारों की प्रतिपूर्ति सीएचएसएस के नियम 10.4, 10.7 तथा 10.10 के तहत उन स्थानों पर की जाती है जहां उपचार पऊवि अस्तपालों को छोड़कर अन्य अस्पतालों से लिया जाता है। चूंकि विभिन्न जगहों पर अलग-अलग अस्पतालों द्वारा प्रभारित दरें एक समान नहीं होती हैं, इसलिए प्रसूति के प्रभारों की प्रतिपूर्ति से संबंधित विषय की जांच सीएचएसएस समीक्षा समिति द्वारा की गई। समिति ने सिफारिश की है कि गृह प्रसूति से संबंधित प्रभारों की प्रतिपूर्ति को वापस ले लिया जाए। इस समिति ने यह भी सिफारिश की है कि जहां सीएचएसएस सुविधाएं अपने स्वयं के अस्पताल में या रेफरल अस्तपालों में प्रदान की जाती हैं वहां प्रसूति से संबंधित व्यय के लिए मातृत्व प्रसूति के प्रभारों की प्रतिपूर्ति का वर्तमान प्रावधान समाप्त कर दिया जाए। अन्य स्थानों पर और आपात स्थिति में सीजीएचएस दरों को स्वीकार करने की सिफारिश की जाती है।

At present Maternity charges for meeting confinement are reimbursed under Rule 10.4, 10.7 and 10.10 of the CHSS, where treatment is availed from other than DAE Hospitals. Since the rates charged by different hospitals at various locations are not uniform, the issue regarding the reimbursement of confinement charges was examined by the CHSS Review Committee. The Committee has recommended that the reimbursement towards domiciliary confinement charges must be withdrawn. The Committee also recommended to scrap the existing provision of reimbursement of maternity charges for meeting confinement expenses where CHSS provides facility either at own hospital or at referral hospitals. At other stations and in case of emergency case, it is recommended to adopt CGHS rates.

2. इस विषय की जांच सदस्य (वित्त), परमाणु ऊर्जा आयोग के साथ परामर्श करके की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि गृह प्रसूति के प्रभारों के लिए वर्तमान प्रतिपूर्ति और पऊवि अस्पतालों जहां सीएचएसएस अपनी सुविधाएं स्वयं उपलब्ध कराता है या रेफरल अस्पताल के माध्यम से उपलब्ध कराता है, को छोड़कर प्रसूति प्रभारों के लिए प्रतिपूर्ति को समाप्त कर दिया जाए। तथापि, आपाती मामलों में पऊवि अस्पतालों को छोड़कर अन्य अस्पतालों में प्रसूति हेतु सीजीएचएस दरों के अंतर्गत प्रतिपूर्ति ग्राहय होगी। सीएचएसएस के नियम 10.4, 10.7 एवं 10.10 वर्तमान में ऊपर दर्शाए अनुसार संशोधित होंगे।

The matter has been examined in consultation with the Member (Finance), AEC and it has been decided to scrap the existing reimbursement towards domiciliary confinement charges and reimbursement towards confinement outside DAE hospitals where CHSS provides facility itself or in referral hospital. However, in emergency cases reimbursement will be admissible under CGHS rates for confinement outside DAE Hospitals. Rule 10.4, 10.7 and 10.10 of CHSS will stand modified to the extant indicated above.

3. इसे सचिव, पऊवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Secretary, DAE.



(राकेश गर्ग Rakesh Garg)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सीएचएसएस का नियंत्रण करने वाले सभी प्राधिकारी All CHSS Administering Authorities:

- (1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
- (2) निदेशक, आईजीकार, कल्पाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
- (3) निदेशक, जीएसओ, कल्पाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
- (4) म्ख्य कार्यकारी, भापाबो, म्ंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
- (5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
- (6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
- (7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur
- (8) निदेशक, एएमडी, हैदरबाद Director, AMD
- (9) निदेशक, आरआरकैट, इंदौर Director, RRCAT
- (10) निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता Director, VECC
- (11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL
- (12) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी Head, Medical Division, BARC
- (13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कल्पाक्कम Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam

प्रतिलिपि Copy to:

- (1) इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रम्ख All Administrative Heads of Units
- (2) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o Chairman, AEC & Secretary, DAE
- (3) संयुक्त सचिव (एएंडए), पऊवि के प्रधान निजी सचिव PPS to Joint Secretary (A&A), DAE
- (4) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.
- (5) अवर सचिव (प्रशासन), पऊवि US(Adm), DAE
- (6) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
- (7) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE